22/5/25 — आज पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। व सुलहनामा बाबत प्रस्ताव प्राप्त हुए है। वादीगण दावा मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाता है। निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली बाद तकमील जरूरी होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
व इजलास **श्री भगवत शरण त्यागी (R.A.S.)**

1. रामविलास पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
2. रामचरन पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
3. कश्मीरा पत्नी राजकपूर जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
4. कृष्णकुमार पुत्र भगवान सिह जाति कोली निवासी भगरीपुरा पिपरौन तह0 बसेडी धौलपुर राज0

बनाम

1. भगवानदास पुत्र रमेश जाति धोबी निवासी ग्राम अलीगढ तह0 बाडी हाल आवाद गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
2. हरप्यारी पत्नी पैमा जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
3. सुनीता पत्नी राकेश जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
4. तहसीलदार तहसील बाडी बहैसियत लैण्ड होल्डर

दावा दावत

मुकदमा नं. **117 / 2024**
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय
व हाजरी **श्री रवि पचौरी एड0** मिनजानिव मुद्दई श्री
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

वादीगण का वाद प्राथमिक डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी परिशिष्ट क खसरा नम्बर 865 रकवा 0.3035 हैक्टे0, 956 रकवा 0.3920 हैक्टे0, 976 रकवा 0.3415 हैक्टे0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.0370 हैक्टे0 एवं आराजी परिशिष्ट ख खसरा नम्बर 1218 / 973 रकवा 0.0632 हैक्टे0, 1220 / 973 रकवा 0.2254 हैक्टे0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.2886 हैक्टे0 बांके ग्राम निधारा तह0 बाडी जिला धौलपुर के कृषिजोत विभाजन प्रस्ताव जरिये माप व सीमांकन अच्छे में से अच्छा व बुरे में से बुरा मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिकी की प्रति भेजी जावे।

खर्चा इस मुकदृदमे के मय सूद व भाहर .... नीज .... मुबलिग.................... बाबत .... को अदा करें।

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... आज तारीख **25** माह **02** साल **2025** को वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के जारी की गई।

दस्तखत .... उपखण्डाधिकारी बाडी (धौलपुर) राज
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री भगवत शरण त्यागी आर.ए.एस.

उनवान

रामविलास **बनाम** भगवानदास वगै0

1. रामविलास पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
2. रामचरन पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
3. कश्मीरा पत्नी राजकपूर जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
4. कृष्णकुमार पुत्र भगवान सिह जाति कोली निवासी भगरीपुरा पिपरौन तह0 बसेडी धौलपुर राज0

वादीगण :–

बनाम

1. भगवानदास पुत्र रमेश जाति धोवी निवासी ग्राम अलीगढ तह0 बाडी हाल आवाद गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
2. हरप्यारी पत्नी पैमा जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
3. सुनीता पत्नी राकेश जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0

प्रतिवादीगण :–

4. तहसीलदार तहसील बाडी बहैसियत लैण्ड होल्डर

तरतीवी प्रतिवादी :–

उपस्थित वादीगण के वकील – श्री रवि पचौरी एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0

दावा सं. 117/2024 दिनांक :– 25.02.2025

निर्णय

वादीगण द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :–

विवादित आराजी परिशिष्ट क खसरा नम्बर 865 रकवा 0.3035 हैक्टे0, 956 रकवा 0.3920 हैक्टे0, 976 रकवा 0.3415 हैक्टे0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.0370 हैक्टे0 एवं आराजी परिशिष्ट ख खसरा नम्बर 1218/973 रकवा 0.0632 हैक्टे0, 1220/973 रकवा 0.2254 हैक्टे0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.2886 हैक्टे0 वांके ग्राम निधारा तह0 बाडी जिला धौलपुर में स्थित हैं। विवादित आराजी परिशिष्ट क में वादी सं. 1 1/6 हिस्से का व वादी सं. 2 1/6 हिस्से का व वादी सं. 3 23/177 हिस्से की व वादी सं. 4 18/59 हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 12/59 हिस्से का व प्रतिवादी सं 2 5/177 हिस्से की व विवादित आराजी परिशिष्ट ख में वादी सं. 1 1/6 हिस्से का व वादी सं. 2 1/6 हिस्से का व वादी सं. 3 23/177 हिस्से की व वादी सं. 4 7/36 हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 12/59 हिस्से का व प्रतिवादी सं 2 5/177 हिस्से की व

प्रतिवादी सं. 3 235/2124 हिस्से की खातेदार काश्तकार हैं एवं मौके संयुक्त रूप से काबिज रह कर काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है जिसका अभी तक कोई बंटवारा नही हुआ है। विवादित आराजी पर दिनांक 25.07.2023 को वादीगण अपनी आराजी को जोतने के लिये गये तो प्रतिवादी सं0 3 ने वादीगण को विवादित आराजी को जोतने बोने से मना कर दिया और कहा कि विवादित आराजी में अब तक तुमने बहुत काश्त करली, अब हम तुम्हे विवादित आराजी को जोतने बोने नहीं देगे। तुम विवादित आराजी में अपने हिस्से को हमें दे दो नहीं तो ताकत के बल पर हम विवादित आराजी को ले लेगे व वादीगण को विवादित आराजी को जोतने बोने नहीं दिया। प्रतिवादीगण ने अपनी धमकी के अनुसार विवादित आराजी वादीगण को जोतने बोने नही दिया तो वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ती हर्जे से संभव नहीं है। प्रतिवादीगण की धमकी के वाद वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया हैं कि वादीगण न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बंटवारा राजस्व रिकार्ड में मद सं. 2 में वर्णित हिस्से के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड अच्छे में से अच्छा बुरे में से बुरा करा कर प्रतिवादीगण को जरिये आदेश स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे विवादित आराजी में वादीगण के हिस्से में आयी आराजी पर किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखलत वेजा न करें, न किसी अन्य से करावें।

इस प्रकार दावा पेश कर वादी ने निवेदन किया कि :-

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का बंटवारा राजस्व रिकार्ड में वादपत्र की मद सं. 2 में वर्णित हिस्से के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड अच्छे में से अच्छा बुरे में से बुरा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये आदेश स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी में वादीगण के हिस्से में आयी आराजी पर किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखलत वेजा न करें, न किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आये। अतः उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस एक पक्षीय वकील वादी समाअत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2076-79 में वादीगण एवं प्रति0 मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार अंकित है। जो वादी द्वारा अपने दावे में अंकित किये गये तथ्यों की पुष्टि करता है। राज0 काश्त0 अधि0 के मुताबिक प्रत्येक खातेदार अपनी सहखातेदारी की आराजी का बंटवारा कराने एवं प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का मुश्तहक होता है। इसके अलावा प्रति0 का वावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आना उसकी मौन स्वीकारोक्ति मानी जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रति0 न्यायालय में उपस्थित आकर चाराजोई अवश्य करते। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरी राय में वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर प्रश्नगत आराजी परिशिष्ट क खसरा नम्बर 865 रकवा 0.3035 हैक्टे0, 956 रकवा 0.3920 हैक्टे0, 976 रकवा 0.3415 हैक्टे0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.0370 हैक्टे0 एवं आराजी परिशिष्ट ख खसरा नम्बर 1218/973 रकवा 0.0632 हैक्टे0, 1220/973 रकवा 0.2254 हैक्टे0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.2886 हैक्टे0 बांके ग्राम निधारा तह0 बाडी जिला धौलपुर के कृषिजोत विभाजन प्रस्ताव जरिये माप व सीमांकन अच्छे में से अच्छा व बुरे में से बुरा मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

...मिक डिक्री की प्रति भेजी जावे। निर्णय मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। [illegible]
...मी तारीख पेशी पर वास्ते इन्तजार कुर्रा [illegible] प्रस्ताव पेश की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सो इजलास सुनाया गया।

उपजिलाधिकारी
[illegible]

प्राथमिक डिकी की प्रति भेजी जावे। निर्णय मुताबिक प्राथमिक डिकी जारी हो। पत्रावली आगामी तारीख पेशी पर वास्ते इंतजार कुर्रेजात प्रस्ताव पेश की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी